



Neutral Citation-2026:AHC:32920

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या-6003/2026

श्रीमती हीरा देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आशुतोष श्रीवास्तव, मनोज कुमार तिवारी,

संतोष कुमार उपाध्याय, सर्वेश्वर लाल श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

(माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहां पारित किये जाने वाले प्रस्तावित आदेश को दृष्टि में रखते हुए विपरीत पक्ष को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा।
हालाँकि , यदि विपरीत पक्ष आदेश से व्यथित अनुभव करता है तो आदेश से संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रतिवादी संख्या 2 आयुक्त आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़ को संशोधन संख्या 43 पर निर्णय लेने का निर्देश देना है, 2023 का बी (कंप्यूटर मामला संख्या सी20231500000273) (एसएमटी हीरा देवी बनाम विनोद सिंह और अन्य) शीघ्रता से ।
4. यह मामला काफी समय बीत जाने के बाद से निचली न्यायालय के समक्ष लंबित है किन्तु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देते हुए वर्तमान याचिका का निस्तारण किया जाता है आयुक्त आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़ उपरोक्त संशोधन पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कानून के अनुसार *सख्ती से सबसे तेजी से और अधिमानतः न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर* निर्णय लेंगे नीचे लेकिन अनावश्यक स्थगन दिए बिना जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

13 फरवरी 2026

सकलैन

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”